3

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1863-तीन/2000 - विरूद्ध आदेश दिनांक 27 जुलाई, 2000 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 48/99-2000 निगरानी

ओमकारलाल दत्तक पुत्र गुलाबचंद जैन
निवासी सिकरवारी बाजार, मुरैना
तहसील व जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। ---आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- ओमप्रकाश पाराशर पुत्र रामनारायण
निवासी एम0एस0रोक,कसाना भवन
के सामने तहसील व जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक-1 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)
(अनावेदक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 1 - 3 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/99-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई 2000 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम जौरा खुर्द स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 835 रकबा 3 वीघा 16 विसवा आवेदक के स्वामित्व की भूमि है। कलेक्टर मुरैना को अनावेदक ने शिकायती आवेदन दिया कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा है इसलिये कब्जा

दर्ज किया जावे। कलेक्टर मुरैना ने उक्त शिकायत आवेदन तहसीलदार मुरैना को कार्यवाही हेतु भेजा। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण नंबर 20/95-96 बी 121 दर्ज कर शिकायती आवेदन की जॉच करके कलेक्टर मुरैना को प्रतिवेदन दिनांक 27-71-96 प्रेषित किया। इस जॉच प्रतिवेदन के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 94/97-98 प्रस्तुत की। कलेक्टर मुरैना ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 29-11-99 पारित किया तथा निर्णय दिया कि जॉच प्रतिवेदन न्यायालयीन कार्यवाही नहीं है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 48/99-2000 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 27 जुलाई 2000 से निगरानी निरस्त कर दी । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने रिकार्ड के आधार पर प्रकरण के निराकरण का आग्रह किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक कमांक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष के बीच माननीय प्रथम सिविल जज वर्ग-1 मुरैना के न्यायालय में वाद कमांक 22 ए/1998 चला है तथा माननीय न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 14-9-2004 से वाद निर्णीत कर आवेदक को वाद विचारित भूमि में स्थित हनुमान मंदिर, भैरोंवावा मंदिर, वेत देवता के मंदिर एंव बने हुये चबूतरे, हवन कुण्ड, की पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया है एंव अनावेदक क-2 को किसी प्रकार का

कोई अधिकार पूजा अर्चना का अथवा कब्जा रखने का नहीं दिया है तथा कब्जा दखल देने , हस्तक्षेप करने से प्रतिबन्धित किया है माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव आवेदक माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार तहसील न्यायालय में कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के निर्णय दिये जाने का औचित्य नहीं रह गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर